UPSI010073992025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सीतापुर।

उपस्थित : आशीष जैन, एच.जे.एस.

फौजदारी निगरानी सं0 204/2025

सी.आई.एस. नं.–204 / 2025

रावेन्द्री देवी उम्र 34 वर्ष पत्नी सत्यपाल वर्तमान निवासी ग्राम कपसारवानपुर थाना पिसावॉ जिला सीतापुर। ...प्रार्थिनी / निगरानीकर्तिनी।

बनाम

1.सत्यपाल उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र सुरेश (पति)
2.सुरेश उम्र करीब 58 वर्ष पुत्र समलू (ससुर)
3.श्रीमती रामप्यारी उम्र 56 वर्ष पत्नी सुरेश (सास)
4.करूणाशंकर उम्र करीब 37 वर्ष पुत्र सुरेश(जेठ)
5.श्रीमती निर्मला उम्र करीब 35 वर्ष पत्नी करूणाशंकर (जेठानी)
6.कालेन्द्री उम्र 27 वर्ष पुत्री सुरेश (ननद)
सर्व निवासीगण ग्राम उल्जापुर थाना कोतवाली देहात जिला सीतापुर।

उत्तरदाता / विपक्षीगण।

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निगरानीकर्तनी / वादिनी मुकदमा श्रीमती रावेन्द्री देवी की ओर से अन्तर्गत धारा 440 बी.एन.एस.एस. न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0), कोर्ट सं05, सीतापुर द्वारा परिवाद संख्या 295 / 2024 में पारित आदेश दिनॉकित 16.09.2025 के विरूद्व योजित की गयी है।

प्रस्तुत निगरानी से सम्बंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रश्नगत मामले में प्रार्थिनी / निगरानीकर्तिनी द्वारा विचारण अवर न्यायालय के समक्ष उत्तरदातागण / विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) दण्ड प्रकिया संहिता में प्रस्तुत किया गया जिसे विचारण अवर न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में संस्थित किया गया। तदुपरान्त परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरान्त न्यायालय द्वारा तलब किये जाने का पर्याप्त आधार न पाते हुये परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद निरस्त किये जाने का आलोच्य आदेश दिनॉकित 16.09.2025 पारित किया गया है।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रार्थिनी / निगरानीकर्तिनी द्वारा मुख्य रूप से प्रस्तुत निगरानी में इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि निगरानीकर्तनी शादी के बाद अपनी ससुराल में रहकर पत्नी धर्म का पालन करती रही और विपक्षीगण द्वारा दहेज को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़िता करते रहे। निगरानीकर्तनी के साथ घटित घटना ससुराल में घर के अन्दर होने के कारण कोई साक्ष्य व गवाह निगरानीकर्तनी के पास नही है। निगरानीकर्तनी ने जो घटना दिखाया है वह सत्य व सही है। पुलिस द्वारा अन्वेषण रिपोर्ट में विपक्षीगण के मित्र व घर में सदस्यो के ही बयान अंकित किये गये है जो कि प्रधान के घर के सदस्य है जिनके द्वारा जो बताया गया है वही रिपोर्ट दाखिल की गयी है। पुलिस द्वारा वर्णित साक्षियो में कथित

Digitally signed by Ashish Jain
Date: 2026.06.04 16:59:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,STP

स्वतंत्र गवाह के कोई भी सदस्य विपक्षीगण के घर के पास का नही है और न ही किसी ने गवाही दी है जिस कारण उक्त विपक्षीगण व उसके साक्षियो के बयान के आधार पर निगरानीकर्तनी का परिवाद खारिज कर दिया गया है। निगरानीकर्तनी का कोई भी बयान पुलिस द्वारा अंकित नही कराया गया है। उक्त आधार पर निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

बाद तामीला उत्तरदाता/विपक्षीगण उपस्थित आये। उनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा दाखिल किया गया। उत्तरदाता/विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नही की गयी है।

मैने निगरानीकर्तनी/प्रार्थिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदाता/विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत मामले में विचारण अवर न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी/निगरानीकर्तिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 को परिवाद के रूप में संस्थित किया गया। प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज होने के पश्चात परिवादिनी का बयान धारा 200 दं0प्र0सं0 के अर्न्तगत अंकित किया गया। परिवादिनी की ओर से साक्षीगण ए.पी.डब्लू.1 के रूप में विनोद कुमार एवं ए.पी.डब्लू.2 के रूप में सुभाष का बयान अंकित कराया गया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तलबी बहस के स्तर पर तलबी आदेश पारित करने के पूर्व अर्न्तगत धारा 202(1) दं0प्र0सं0 के तहत थानाध्यक्ष कोतवाली देहात को प्रकरण में अन्वेषण करके विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके अनुपालन में थाना कोतवाली देहात की पुलिस द्वारा ग्रामवासीगण दीपक सिहं, अमित कुमार,धर्मेन्द्र सिहं, विशाल गौतम, लायक सिहं के बयान तथा आरोपित व्यक्तियो के बयान तथा निरीक्षण घटनास्थल कर विस्तृत आख्या विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी है। तदुपरान्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्षीगण के बयान अर्न्तगत धारा 200 एवं 202 दं0प्र0सं0 एवं थाने से प्राप्त अन्वेषण आख्या अर्न्तगत धारा 202(1) दं0प्र0सं0 का परिशीलन करने के उपरान्त विपक्षीगण के विरूद्व आरोप के सम्बंध में विचारण हेतु तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नही होने के कारण परिवाद निरस्त किये जाने का आलोच्य आदेश दिनॉकित 16.09.2025 पारित किया गया है जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आलोच्य आदेश विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा के उपरान्त पारित किया गया है, जो कि विधिपूर्ण तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं परिस्थितियो के आधार पर है।

ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नही होती है बल्कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप एवं विधिपूर्ण पाया जाता है। उक्त परिस्थितियो में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनॉकित 16.09.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि न होने के कारण हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थिनी/निगरानीकर्तिनी की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

CNR UPSI010073992025

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/निगरानीकर्तिनी द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.09.2025 पुष्ट किया जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जाय। निगरानी न्यायालय की पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक : 04.06.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 04.06.2026

(आशीष जैन)
सत्र न्यायाधीश,
सीतापुर।
J.O.Code-UP -2024

अजीत.

CNR UPSI010073992025